




## The Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Act, 2014

Act 5 of 2014

### Keyword(s):

Area of Operation, Basin, Bulk Water Entitlement, Category of uses, Cess, Groundwater, Integrated State Water Plan, Project Level Entity, Quota, Sewerage, State Water Policy, Tariff, Utility, User of Groundwater, Water Availability, Water Quality

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 04 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 321/79-वि-1-14-1(क)-2-2014

लखनऊ, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पर दिनांक 04 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2014)

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

राज्य के भीतर कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु टैरिफ को संस्तुत एवं विनियमित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों से बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर का उद्ग्रहण करने के लिये राज्य को नीति तैयार करने एवं जल संसाधन के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, राज्य के पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

संक्षिप्त नाम  
प्रारम्भ और  
विस्तार

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा शीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 या उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अन्य विधि, जिसके अन्तर्गत भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्ध भी हैं, में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

- (एक) "कार्यक्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण, सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है जो बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;
- (दो) "कछार" का तात्पर्य किसी नदी के इर्द-गिर्द के ऐसे भू-क्षेत्र से है जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती हैं;
- (तीन) "थोक जल हकदारी" का तात्पर्य किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथाउपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार से है;
- (चार) "उपयोग की श्रेणी" का तात्पर्य विभिन्न प्रयोजनों यथा पेश और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबंधी प्रयोजन आदि और उसके अंतर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी हैं, के लिये जल उपयोग के वर्गीकरण से है;
- (पाँच) "उपकर" का तात्पर्य बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि से है;
- (छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;
- (सात) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग से है;
- (आठ) "हकदारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु आयोग द्वारा किये गये प्राधिकार से है;
- (नौ) "भूजल" का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर, ऐसे भू-वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भूजल के जलाशय भी हैं, भूतल के नीचे किसी जलकुण्ड में विद्यमान रहता हो;
- (दस) "भू-गर्भजल हकदारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञाप्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से या भू-गर्भजल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल, की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत या थोक जल हकदारी से है;
- (ग्यारह) "व्यक्तिगत जल हकदारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी प्राधिकार से है;
- (बारह) "एकीकृत राज्य जल योजना" का तात्पर्य सतही और भूजल दोनों के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना से है;
- (तेरह) "लाइसेंस" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस से है;
- (चौदह) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत भू-गर्भ जल के दोहन द्वारा यथाविहित घरेलू उपयोग नहीं है, भू-गर्भजल का उपयोग करता हो;

- (पन्द्रह) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;
- (सोलह) "अधिसूचित क्षेत्र" का तात्पर्य अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाई/विकास खण्ड से है, जैसा कि राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाय;
- (सत्रह) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आवंटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;
- (अठारह) "परियोजना स्तरीय इकाई" का तात्पर्य किसी जल संसाधन परियोजना के अंतर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाइयों के किसी समूह से है;
- (उन्नीस) "कोटा" का तात्पर्य किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा से है जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;
- (बीस) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों से है;
- (इक्कीस) "चयन समिति" का तात्पर्य अध्याय-दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति से है;
- (बाईस) "सीवर व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;
- (तेईस) "राज्य जल नीति" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति, 1999 से है;
- (चौबीस) "स्वारा" और "स्वारडैक" का तात्पर्य क्रमशः राज्य जल संसाधन अभिकरण और राज्य जल संसाधन आँकड़ा और विश्लेषण केन्द्र से है जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् आयोग के प्राविधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा;
- (पच्चीस) "टैरिफ" का तात्पर्य जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग से है;
- (छब्बीस) "उपयोगकर्ता" का तात्पर्य किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि से है जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;
- (सत्ताईस) "भू-गर्भ जल प्रयोक्ता" का तात्पर्य व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर, घरेलू उपयोग को छोड़कर, किसी प्रयोजन के लिये भूजल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों से है;

(अट्ठाईस) "जल" का तात्पर्य नदियों में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल-निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औद्योगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात् पुनः चकित जल अर्थात् जल संभरण और सीवर-व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल-निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अंतर्गत संचयित या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(उनतीस) "जल प्रयोक्ता इकाई" का तात्पर्य जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(तीस) "जल उपलब्धता" का तात्पर्य किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य हैं, की उपलब्धता से है;

(इक्तीस) "जल गुणवत्ता" का तात्पर्य ऐसे सुलभ जल से है जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

#### अध्याय—दो

#### आयोग की स्थापना

आयोग की  
स्थापना

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुद्देशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और पाँच से अनधिक संख्या के सदस्य होंगे।

(5) अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के  
अध्यक्ष और  
अन्य सदस्यों  
की नियुक्ति के  
लिये अर्हता

4—(1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो:-

(क) अध्यक्ष :-

अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो।

(ख) सदस्यगण:-

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई / जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

- (दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से संबंधित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये।
- (तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/सार्वजनिक स्वास्थ्य/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको नगरीय/ग्रामीण जल संभरण/जल निकास/सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिए भूजल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियंता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो।
- (चार) एक सदस्य कृषि/भू-प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि/उद्योग/अध्यापन/अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।
- (पाँच) एक सदस्य नलकूप/पम्प नहर/भू-गर्भ जल अनुसंधान एवं अध्ययन/वर्षा जल संचयन एवं सम्बन्धित महत्वपूर्ण यांत्रिक/लघु सिंचाई कार्यों के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक/भूगर्भ शास्त्र या भू-भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो और कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो एवं मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।
- (2) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा/करेगी।
- (3) अध्यक्ष आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
- (4) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हों, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- 5-कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा, यदि वह,—
- (क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या
- (ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या
- (ग) नैतिक अक्षमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या
- (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

अध्यक्ष या सदस्य होने के लिये अनर्हता

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय आयोग का आसीन/भूतपूर्व सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन अध्यक्ष

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(ड.) प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(च) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(छ) प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य

(ज) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य सचिव

(झ) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों जो सदस्य/सदस्यों के अपेक्षित विशेषज्ञता से सम्बन्धित हों।

(2) राज्य सरकार मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षिता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(5) चयन समिति उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये दो नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगा:-

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था की जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता हो:

(एक) सतही जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारवार के लिये कोई व्यावसायिक सेवार्थ उपलब्ध कराने वाली कोई इकाई।

- (ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसाकि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।
- (7) उप धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति के चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।
- (8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।
- (9) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।
- (10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।
- (11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।
- (12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।
- (13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसीकि विहित की जाय।
- (14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

7-(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य को लगातार दो से अनधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

- (2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा-8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।
- (3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जाय।
- (5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे।
- (6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होनेवाला अध्यक्ष या कोई सदस्य:-
- (क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है।
- (ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है, और
- (ग) आयोग के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें



**स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ-**

- (एक) "राज्य सरकार के अधीन नियोजन" में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य आयोग के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है।
- (दो) "वाणिज्यिक नियोजन" का तात्पर्य जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप में या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

**समिति का गठन और कृत्य**

अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना

- 8-(1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जाँच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जाँच के आधार पर सूचित किये जाने के पश्चात, कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किए जाने के पश्चात कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे जांच रिपोर्ट और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित पैनल, जिनके अन्य सदस्य सिंचाई मंत्री एवं विपक्ष के नेता होंगे, की संस्तुति पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकेगा।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।
- (3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से उपधारा (1) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार हटाया जायेगा।
- (4) राज्य सरकार यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति

- 9-(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव, जो राज्य सरकार के अधीक्षण अभियन्ता (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) स्तर से नीचे का न हो एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और जिसे जल प्रक्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, को नियुक्त कर सकता है।
- (2) आयोग राज्य जल संसाधन अभिकरण/ राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यों के अतिरिक्त आयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।
- (3) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाय।
- (4) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिये लागू निबंधन एवं सेवा शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होंगी।

- (5) राज्य सरकार आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर आयोग में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।
- (6) आयोग में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षिता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रत्यावर्तित रहेगा।

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश भत्तों, सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी जाय, द्वारा किया जायेगा।

- (7) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन के निमित्त आयोग की सहायता करने के लिये अपेक्षित परामर्शदाताओं को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, नियुक्त कर सकता है।

10-(1) आयोग राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर, जैसाकि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कारबार को संव्यवहृत करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसाकि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

आयोग की कार्यवाहियों

(2) अध्यक्ष या यदि वह आयोग की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो वहाँ उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों, जो आयोग के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के समस्त विनिश्चय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होंगे और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियाँ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जाएंगी जैसीकि आयोग अवधारित करे।

(5) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) आयोग के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

11-आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।

रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को विधिमान्य नहीं करेगी

### अध्याय-तीन

#### आयोग की शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य

12-आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:-

आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य

- (क) घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजन के लिए सतही जल एवं उप-सतही जल के उपयोग के लिए टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;
- (ख) विभिन्न श्रेणी के उपयोग के लिए और प्रत्येक श्रेणी के उपयोग के अन्तर्गत हकदारी के संवितरण को अवधारित करना और उन्हें विनियमित करना;
- (ग) समय-समय पर टैरिफ/ जल प्रभारों का पुनर्विलोकन करना एवं उनकी अनुश्रवण करना;

- (घ) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू-स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना;
- (ङ) समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/नदी कछार योजनाओं के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;
- (च) राज्य जल नीति के अनुसार विभिन्न सेक्टर सम्बन्धी जल आवश्यकता के लिए जल के हकदारी के आवंटन एवं वितरण को अवधारित करना;
- (छ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार/उप-कछार स्तर पर प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आवंटन के संबंधन में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात् आर्थिक रूप से, जल भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षम है;
- (ज) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, हकदारियों के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन, अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;
- (झ) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भूजल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;
- (ञ) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के क्रियाकलापों में स्पष्टता, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;
- (ट) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना;
- (ठ) भू-गर्भजल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिये वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;
- (ड) किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।

उपरोक्त (घ) से (ढ) तक की शक्तियां और कृत्य संस्तुति/सलाह के रूप में रहेंगी एवं राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कार्यान्वित होंगी।

आयोग की सामान्य नीतियाँ

- 13—(1) आयोग, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करेगा;
- (2) आयोग राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य जल नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगा;

(3) आयोग, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

14—राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

जल सम्भरण और समय निष्पादन का मानक

15—आयोग, समय-समय पर राज्य सरकार के निर्देश पर निम्न पर सलाह दे सकता है—

- (क) जल सम्भरण सेवा और उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के संबंध में समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न-भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है जैसा आयोग उचित समझे।

16-(1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारवार के संबंध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारवार के प्रभारी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा(1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबंधित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) आयोग के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल आयोग की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

#### अध्याय—चार

#### लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

17-(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे :

राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायगा।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में समझा जाएगा और आयोग के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है।

18-(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) आयोग के लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान आयोग द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियाँ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

19-(1) आयोग विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

#### अध्याय—पाँच

#### प्रकीर्ण

20-आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक आयोग

21-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है अर्थातः—

- (क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ख) रीति और तरीका जिसमें आयोग के लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे, और
- (ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सकता हो।

विनियम बनाने की शक्ति

22—(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हों।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था हो सकती है, अर्थातः—

- (क) अपने कृत्यों के निष्पादन में आयोग के कार्यकलापों का प्रशासन;
- (ख) लाइसेंस धारियों और जल के क्रय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की प्रक्रिया और शर्तें, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाएगा, लाइसेंस की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेंसों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे संबंधित सभी विषय;
- (घ) लाइसेंसधारियों के कर्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;
- (ङ) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल सम्भरण या उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त हों, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियों, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;
- (च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्तें और प्रक्रिया;
- (छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;
- (ज) लाइसेंसधारी और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;
- (झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;
- (ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

कठिनाईयों दूर करने शक्ति

23—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के कारण से, कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसा उस स्थिति में आवश्यक हो, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात बारह मास की अनधिक अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

#### उद्देश्य और कारण

पर्याप्त आर्द्रता वाले उत्तर प्रदेश राज्य में जल का अभाव और इसकी गिरती हुई गुणवत्ता अब स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी है जो बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ और भी गम्भीर हो जाएगी। जल मूलभूत मानव आवश्यकता है और विकास योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस सीमित संसाधन का नियोजन राज्य के विकास संबंधी अनुभवों द्वारा किया जाना है जो अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों, जलीय स्तर (सतह और भूगर्भ जल), जल आवंटन प्राथमिकताओं और अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए भी उत्तरदायी होगा।

राज्य के लिए यह परमावश्यक है कि सीमित और अभाव युक्त जल संसाधनों का अत्यंत मितव्ययी, दक्ष और वहनीय प्रयोग करके पेयजल, कृषि और गैरकृषि उद्योगों, सिंचाई, जल-विद्युत, परिस्थिति-विज्ञान, नौ-परिवहन और समय-समय पर राज्य जल नीति में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अन्य प्रयोगों में उपयोग के लिए बढ़ावा दें। यह अनुश्रवण करना राज्य सरकार का कर्तव्य है कि भूमिगत जल संग्रह का पोषण किया जाए और नदियों के जल का नदी प्रणाली की परिस्थिति के संतुलन को दृष्टि में रखते हुए उपयोग किया जाए। राज्य सरकार का यह भी उत्तरदायित्व है कि जल के समान और पोषणीय वितरण के निर्धारण में उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं के लिए अपेक्षित समुचित उपायों के साथ जल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बनाए रखा जाए। राज्य सरकार जल के प्रयोग और उपयोग के लिए जल संवाहक प्रणाली के उचित प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य जल टैरिफ प्रणाली को स्थापित करने और जल प्रभारों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

राज्य के प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य के भीतर जल संसाधनों को विनियमित करने, सुकर बनाने और विवेकपूर्ण, साम्य और पोषणीय प्रबंधन, आवंटन और राज्य के पर्यावरण सम्बन्धी आर्थिक रूप से पोषणीय विकास के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिए जल प्रयोग की दरें निर्धारित करने और राज्य जल नीति के अनुसार समुचित नियामक लिखत के माध्यम से लाभान्वित भू-स्वामियों से बाढ़ संरक्षण और जल निकासी कार्यों द्वारा लाभान्वित भूमियों पर उपकर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाई जाए।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
एस० बी० सिंह,  
प्रमुख सचिव।

No. 321(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka) 2-2014

*Dated Lucknow, March 04, 2014*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Prabandhan Aur Niyamak Ayog Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2014 :

THE UTTAR PRADESH WATER MANAGEMENT AND REGULATORY  
COMMISSION ACT, 2014  
(U.P. ACT NO. 5 OF 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission to regulate and recommend the tariff for water used for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and also for levying cess on land benefited by flood protection and drainage works from the owners of land benefited through appropriate regulatory instruments according to State Water Policy to assist the State for making policies and execution of the water resources within the State, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and optimal utilization of water resources for ensuring sustainable development of the State and matters connected therewith or incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER - I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Act, 2014.

Short title,  
extent and  
commencement

- (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
- (4) The provisions of this Act shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 or the Uttar Pradesh Participatory Irrigation Management Act, 2009 or in any other law of the State for the time being in force including the provisions of a Central Act enacted under an entry enumerated in the State list of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

## Definitions

2. In this Act unless the context otherwise requires, -

- (i) "Area of Operation" means the entire geographical area of Uttar Pradesh in which water is managed and supplied to different use sectors by public or private agency or the area which is benefited by flood protection and drainage works;
- (ii) "Basin" means the area of land around a river from which streams run down into it;
- (iii) "Bulk Water Entitlement" means the volumetric authorization given by the State to a share of water resource produced by a project, river system or storage facility, for a specific period of time as specifically provided in the order granting the entitlement;
- (iv) "category of uses" means classification of use of water for different purposes such as drinking and domestic, industrial or commercial, irrigation, power, agriculture and environmental etc. and includes such other purposes as may be prescribed;
- (v) "Cess" means an amount to be charged on lands benefited by flood protection and drainage works from owners / lease holders of such lands;
- (vi) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (vii) "Commission" means the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission established under section 3;
- (viii) "Entitlement" means any authorization by the State Government to use the water for the specified purpose under this Act;
- (ix) "Groundwater" means the water, which exists in an aquifer below the surface of the ground at any particular location, regardless of the geological structure in which it is stationary or moving and includes all groundwater reservoirs;
- (x) "Ground Water entitlement" means an individual or bulk water entitlement to a volumetric quantity of water to be extracted from a tube well, bore well or other well or by any other means of extraction of ground water, or a group or field or wells duly and legally permitted, registered and constructed in accordance with standards prescribed by the State Government;
- (xi) "Individual Water Entitlement" means any authorization by the State Government to use the water for specified purpose under this Act other than bulk water entitlement;
- (xii) "Integrated State Water Plan" means a water plan for use of both surface and ground water duly approved by the State Government;
- (xiii) "License" means a license granted by the State Government in such manner as may be prescribed;

- (xiv) "Licensee" means an individual / organization which maintains the water supply system, supplies water and collects the water tariff, or which owns tube well / diesel pumping set or uses groundwater for any purpose excluding domestic use by exploiting groundwater as may be prescribed;
- (xv) "Member" means a member of the Commission ;
- (xvi) "Notified area" means a unit/ Development Block falling under over exploited or critical category as may be defined by general or special order by the Uttar Pradesh Ground Water Department of the State Government from time to time ;
- (xvii) "Prescribed Authority" means any authority at various levels within the water resources management system that has been duly authorized by the State to determine and declare, on an annual or seasonal basis, the quota or amount of water available within a system for use as an allocated percentage of the entitlements duly issued by the State Government ;
- (xviii) "Project level entity" means a group of all water user entities from a common supply source within a water resources project;
- (xix) "Quota" means a volumetric quantity of water made available to an entitlement holder, which is derived by multiplying an entitlement by annual or seasonal allocation percentage;
- (xx) "Regulation" means regulations made by the Commission under this Act;
- (xxi) "Selection Committee" means a selection committee constituted under section 6 of Chapter-II ;
- (xxii) "Sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places; the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent sludge, gas and other end products;
- (xxiii) "State Water Policy" means the State Water Policy, 1999 as amended from time to time ;
- (xxiv) "SWARA and SWARDAC" means the State Water Resources Agency and the State Water Resources Data and Analysis Centre respectively that would work as technical advisors to the Commission in addition to their own works specified by the State Government when called for after prior approval of the State Government;
- (xxv) "Tariff" means a specific charge or set of charges applicable for providing water supply;
- (xxvi) "Utility" means any water user entity such as agency, company, person, director etc. responsible for the management, treatment and distribution of water to agriculture, horticulture, domestic, industries municipal / rural water supplies and for any other purpose as may be notified by the State Government;
- (xxvii) "User of groundwater" means the person or persons of an institution including a company or an establishment, whether government or private who or which own or use groundwater for any purpose excluding domestic use made either on a personal or community basis;
- (xxviii) "Water" means all surface and subsurface water accruing in rivers or any part of a river, stream, lake, natural collection of water in aquifers or natural drainage channel, water recycled after treatment of sewage and industrial waste etc., that is to say water supplies and sewerage, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power or, water in all states (solid, liquid or vapour) in storage or in flux within hydrologic cycle, that is necessary for a sustainable quality of life, as well as for sustaining the natural environment;



- (xxix) "Water User Entity" means any Water User entity including Water Users' Association, utility, Industrial Users' Association or any other group or individual which is authorized by the State Government to receive and utilize a water entitlement ;
- (xxx) "Water availability" means availability of surface or ground water for use for a period or season or year which is rechargeable ;
- (xxxi) "Water Quality" means accessed water which is safe for consumption for the purpose for which it is supplied as per norms of Uttar Pradesh Pollution Control Board or the norms set by Bureau of Indian Standards.

## CHAPTER - II

### Establishment of Commission

Establishment of  
the Commission

3. (1) The State Government shall within three months from the date of commencement of this Act, by notification, establish a Commission to be known as the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.
- (2) The Commission shall be a body corporate.
- (3) The head office of the Commission shall be at Lucknow.
- (4) The Commission shall consist of a Chairperson and such number of Members not exceeding five.
- (5) The Chairperson and the Members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendation of the selection committee referred to in section 6.

Qualification for  
appointment of  
Chairperson and  
other Members of  
the Commission

4. (1) Only such person shall be appointed as the Chairperson or a Member who possesses the qualifications mentioned hereunder:-
- (a) **Chairperson**—The Chairperson shall be a person having bachelor's degree of any recognized university/ institute with administrative experience of not less than 25 years, and must have held the post of Chief Secretary of the State Government or the Secretary to the Government of India or any post equivalent thereto and has experience of departments related to water resources .
- (b) **Members**—
- (i) One Member shall be expert in the field of water resources having bachelor's degree in civil engineering of any recognized university/ institute and having experience of at least 20 years of service in the field of irrigation / water resources and having served as chief engineer or any post equivalent thereto.
- (ii) One Member shall be an expert from the field of water resources economy having master's degree in economics/commerce/MBA with finance/accountancy. He must have at least 20 years of experience, having worked as a professor in a reputed institute of management or as a whole time director in a financial institution specified under section 4A of the Companies Act, 1956 or as a whole time director in a scheduled bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 or have a substantial professional background of finance, regulation, tariff structuring etc..
- (iii) One Member shall be an expert in the field of drinking water and waste water management having bachelor's degree in civil/public health/environmental engineering of any recognized university/institute. He must have at least 20 years experience

having worked in the field of urban / rural water supply / drainage / sewerage and waste water management and having served as chief engineer or any post equivalent thereto with particular experience in ground water development for water supply and large water treatment plants.

(iv) One Member shall be an expert in the field of agriculture / land management having bachelor's degree in agriculture / agriculture engineering of any recognized university / institute. He must have at least 20 years experience having worked in the field of agriculture / industry / teaching / research.

(v) One Member shall be expert in the field of water tubewells / pump canals / ground water exploration and studies / rain water harvesting and allied important mechanical / minor irrigation works having bachelor's degree in mechanical engineering / master's degree in geology or geo-physics of any recognized university / institute and having experience of at least 20 years of service and having served as chief engineer / superintending engineer or any post equivalent thereto.

- (2) The Chairperson or any Member of the Commission shall not hold any other office during his / her tenure as such.
- (3) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.
- (4) Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any vacancy occurs of the office of the Chairperson, any Member nominated by the State Government and the absence of such nomination or where there is no Chairperson any member chosen by the Members present among themselves, shall exercise the powers and discharge the duties of the Chairperson..

5. A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a Member, if he: —

- (a) has been adjudged as insolvent; or
- (b) has become physically or mentally incapable of acting; or
- (c) has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as the Chairperson or a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
- (f) is an sitting /ex Member of Parliament, or of any State Legislature or any local Commission or is a candidate for election thereto ; or
- (g) is an active member of a political party or holds a post therein.

Disqualification  
for being the  
Chairperson or a  
Member

6. (1) The State Government shall, by notification, constitute a selection committee, for the purposes of making appointments of the Chairperson and other Members under sub-section (5) of section 3. The Committee shall consist of ;

Constitution and  
function of the  
Selection  
Committee

- (a) the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh : *ex officio* President;
- (b) the Agricultural Production Commissioner, Government of Uttar Pradesh : *ex officio* Member;
- (c) the Industrial Development Commissioner, Government of Uttar Pradesh : *ex officio* Member;

- (d) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department. : *ex officio* Member;
- (e) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Urban Development Department : *ex officio* Member;
- (f) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Energy Department : *ex officio* Member
- (g) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Ground Water and Minor Irrigation Department : *ex officio* Member;
- (h) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Irrigation Department : *ex officio* Member Secretary;
- (i) any independent technical expert or experts invited by the President related to the expertise required of the member/members.
- (2) The State Government shall within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal and six months before the superannuation or end of tenure of the Chairperson or a Member, make a reference to the selection committee for filling up of the vacancy.
- (3) The selection committee while making selection of the Chairperson and the Members, shall have due regard to performance record, ability, integrity, character, qualifications and experience of the person proposed to be selected as Chairperson or any other Member as the case may be.
- (4) The selection committee shall finalize the selection of the Members within two months from the date on which the reference is made to it.
- (5) The selection committee shall recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.
- (6) A person who is considered for selection as the Chairperson or a Member shall notify to the selection committee: -
- (a) of any office, employment or consultancy agreement or arrangement which the person or his relative has in his own name or in any firm, association of persons or body corporate, owned or otherwise controlled by any of them carrying on any of the following business:
- (i) diversion of surface water, distribution of water, extraction of ground water or supply of water;
- (ii) manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fittings related to water industry;
- (iii) any entity providing any professional services to any of the businesses referred to in clauses (i) and (ii) above.
- (b) such other details and information as may be prescribed by the selection committee.
- (7) - The details received from the persons referred to in sub-section (6) shall be placed for consideration of the selection committee at the time of selection and recommendation of the person for appointment as the Chairperson or a Member.

- (8) The Chairperson and each Member shall, before taking charge of the office, divest himself from the interest in the businesses mentioned in sub-section (6) as a condition of his or her appointment.
  - (9) If a person to be appointed as the Chairperson or a Member holds any office under the State or Central Government or any public sector corporation or any government body or is gainfully employed or engaged in service by any other person, government authorities, public or private sector or otherwise, he shall submit his resignation or take voluntary retirement from that service before joining the Commission.
  - (10) So long as a person holds the office of the Chairperson or a Member and for a period of two years after he ceases to be the Chairperson or a Member for any reason whatsoever, he shall not acquire, hold or maintain, directly or indirectly any office, employment or consultancy arrangement or any financial interest in any of the businesses mentioned in sub-section (6) and if he acquires any such interest involuntarily or by way of succession or testamentary disposition he will divest himself of the interest within a period of three months of such interest being acquired.
  - (11) Before recommending any person, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest as referred to in sub-section (6) which is likely to affect prejudicially his functions as the Chairperson or a Member.
  - (12) All decisions of the selection committee shall be by a majority.
  - (13) The procedure for selection and appointment of the Chairperson and the Members shall be such as may be prescribed.
  - (14) No appointment of the Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the selection committee.
7. (1) The Chairperson or a Member shall hold office for a term of two years from the date he enters upon his office :
- Provided that the Chairperson or a Member may be re-appointed but not for more than two consecutive terms :
- Provided further that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of sixty five years.
- (2) The Chairperson or any Member may relinquish his office at any time, by giving in writing to the Governor a notice of one month or may be removed from his office in accordance with the provisions of section 8.
  - (3) The Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy before the Governor or any other person nominated by him and every member before the Chairperson in such form as may be prescribed.
  - (4) The salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairperson or the Members shall be such as may be prescribed.
  - (5) The salary, allowances and other conditions of service of the Chairperson or the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.
  - (6) The Chairperson or a Member ceasing to hold office as such shall not,
    - (a) be eligible for further employment under the State Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office except with the permission of State Government;
    - (b) accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and
    - (c) represent any person before the Commission in any manner.

Terms of office and conditions of service of the Chairperson and the Members

**Explanation:** — for the purposes of this sub-section —

- (i) "Employment under the State Government" includes employment under a local body or any other Commission within the territory of India under the control of any State Government or under any corporation or society owned or controlled by the State Government.
- (ii) "Commercial Employment" means employment in any capacity under, or agency of, a person engaged in commercial, industrial or financial business in the water resources related industry and includes also a director of a company or partner of a firm and it also includes setting up practice either independently or as partner of a firm or as an advisor or a consultant.

Removal of the  
Chairperson or a  
Member

8. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the Chairperson or any Member shall only be removed from his office by the State Government on the ground of proved misbehavior after the *panel of three* enquiry officers appointed from the officers equivalent to Secretary to the Government for this purpose on reference being made to them by the State Government, has, on enquiry, held by the panel and in consultation with the leader or opposition reported that the Chairperson or the Member ought on any such ground to be removed :

*Provided* that such Chairperson or any Member may be removed from his office on the basis of such enquiry report only on the recommendation of the panel headed by the Chief Minister, the Minister of Irrigation and the leader of opposition as members thereof.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by order, remove the Chairperson or a Member from his office if he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 5.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chairperson or a member shall be removed from his office on the ground specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of section 5 as per the process given in sub-section (1).
- (4) The State Government shall pass suitable order in accordance with the report referred to in sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, and the final decision of the State Government shall be communicated to the Chairperson or other Member concerned within a period of 30 days of receipt of such report.

Power of State  
Government to  
depute officers and  
employees to the  
Commission and  
their service  
conditions

9. (1) The Commission may appoint a Secretary not below the rank of Superintending Engineer, either working or retired, having bachelor's degree in civil/mechanical engineering of any recognized university/ institute and having experience in the field of water sector, to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, as may be specified by regulations.
- (2) The Commission shall obtain necessary inputs from State Water Resources Agency/ State Water Resources Data and Analysis Centre, that would work as technical advisors to the Commission in addition to their own works specified by the State Government. The Commission may appoint such number of officers and employees as it considers necessary for the performance of its duties and functions, with prior approval of the State Government.

- (3) The salaries and allowances payable to and other conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission shall be such as may be determined by the regulations.
- (4) Save as otherwise provided in this section, the terms and conditions of services of employees on deputation to the Commission shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage.
- (5) The State Government shall appoint any Government officer or employee on deputation to the Commission on the proposal made by the Commission in this regard.
- (6) The period of deputation of any such officer or employee to the Commission shall be three years except when any such person is required to be repatriated on the grounds, such as promotion, reversion, termination or superannuation or any other reason of deputation; he shall stand repatriated to service under the State Government:

Provided that during the period of such deputation all matters relating to the pay, leave, allowances, retirement, pension, provident fund and other conditions of service of the employees on deputation shall be regulated by the Uttar Pradesh Civil Services Rules or such other rules as may, from time to time, be made by the State Government.

- (7) The Commission may appoint consultants required to assist the Commission in the discharge of its functions on such terms and conditions as may be determined by regulations.
10. (1) The Commission shall meet at such time and place within the State as the Chairperson may think fit and shall observe such rules of procedure in transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings) as may be determined by regulations.
- (2) The Chairperson or if he is unable to attend a meeting of the Commission, a member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from among themselves, shall preside over the meeting.
  - (3) All matters which come up before the Commission shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson or, person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.
  - (4) All decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing supported by reasons and shall be available for inspection by any person and copies of the same shall also be made available in such manner as the Commission may determine.
  - (5) The Commission shall regulate its own procedure.
  - (6) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.
11. No act or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Proceedings of  
the Commission

Vacancies etc.  
not to invalidate  
act or  
proceedings

## CHAPTER III

## POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE COMMISSION

Powers and  
functions of the  
Commission

12. The Commission shall exercise the following powers and perform the following functions, namely: -

- (a) to fix and regulate water tariff system and charges for surface and sub-surface water used for domestic, agriculture, industrial and other purposes;
- (b) to determine and regulate the distribution of entitlement for various categories of uses as well as within each category of use;
- (c) to periodically review and monitor the water sector costs and revenues;
- (d) to determine the rate of cess to be charged from owner of lands benefited by flood protection and drainage works implemented under new projects;
- (e) to advise the State Government for the Integrated State Water Plan / Basin Plans developed by State Water Resources Agency to ensure sustainable management of water resources within the parameters laid down by State Water Policy as amended from time to time;
- (f) to determine the allocation and distribution of entitlements for various sectoral water requirement as per the State Water policy.
- (g) to review and accord clearance to new water resources projects proposed at the river basin / sub-basin level by the concerned entity ensuring that the proposal is in conformity with Integrated State Water Plan specially with respect to the water allocation of each entity, that is economically, hydro-geologically and environmentally viable;
- (h) to establish a system of enforcement, monitoring and measurement of the entitlements for the use of water to ensure that the actual use of water, both in quantity and type of use are in compliance with the entitlements;
- (i) to monitor conservation of environment and facilitate the development of a framework for the preservation and protection of the quality of surface and ground water resources as per established norms and standards;
- (j) to promote competition, efficiency and economy in the activities of the water and wastewater sector to minimize wastage of water;
- (k) to promote better water management techniques and practices;
- (l) to enforce rain water harvesting to augment ground water recharge;
- (m) to enforce the decisions or orders issued under this Act by a suitable agency or empower to any existing agency for this purpose;
- (n) to aid and advise the State Government on any matter referred to the Commission by the State Government;

The above powers and functions from (d) to (n) are recommendatory/ advisory in nature and will take place subject to the approval by the competent authority of the State Government.

General policies of  
the Commission

13. (1) The Commission shall work within the framework of the State Water Policy;

(2) The Commission shall advise the State Government to promote sound water conservation and management practices throughout the State in accordance with State Water Policy through the implementing agencies in the State;

(3) The Commission shall support and aid the enhancement and preservation of water quality within the State in close co-ordination with the relevant State agencies.

14. The State Government may from time to time issue directions not inconsistent with this Act.

Powers to issue directions

15. The Commission may advise, when called for by the State Government from time to time to ;

Water supply and overall performance standard

(a) determine such standards of overall performance in respect of water supply services and promotion of the efficient use of water by consumers, as in its opinion, are economical and ought to be achieved by such licensees, and different standards may be determined for different licensees; and

(b) publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider proper.

16. (1) Save as otherwise provided in this Act, information in respect of any person or business which, has been furnished to, or obtained by, the Commission under this Act shall be treated as classified and shall not be disclosed by the Commission, without the consent of the concerned person or the person in-charge of the business.

Restriction on disclosure of information

*Provided* that such information may be disclosed to the Central Government, the State Government, Accountant General of the State or a person who requires it in connection with the discharge of statutory duties.

(2) The restriction contained in sub-section (1) shall not apply to the information related to tariff.

(3) Information in possession of the Commission shall be kept confidential and may be furnished to any person or agency only with the permission of the Commission.

#### CHAPTER - IV

#### ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT

17. (1) The State Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act:

Grants by the State Government to the Commission

*Provided* that expenditure in respect of salaries and allowances of the Chairperson and other Members shall be charged on the Consolidated Fund of the State.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1) and may also charge fee towards expenditure of the Commission.

18. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with Accountant General.

Accounts and audit

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General, Uttar Pradesh, or any officer authorized by him in this behalf at such intervals as may be specified by Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.



Annual report of  
the Commission

- (3) The copies of annual statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.
- (4) A copy of the annual statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon received by the State Government under sub-section (3) shall be laid before each house of the State Legislature.
19. (1) The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and copies thereof shall be forwarded to the State Government.
- (2) The State Government shall cause the annual report to be laid, as soon as may be, after it is received, before each house of the State Legislature.

#### CHAPTER - V

#### MISCELLANEOUS

Chairperson,  
Members and staff  
of the Commission  
to be public  
servants

Power to make  
rules

Power to make  
regulations

20. The Chairperson, Members and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
21. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the power contained in sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
- (a) the procedure to be adopted by the selection committee for selection and appointment of the Chairperson and the Members;
- (b) the form and manner in which the accounts of the Commission shall be maintained; and
- (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
22. (1) The Commission may make regulations not inconsistent with this Act or the rules made thereunder for the efficient performance of its functions under this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—
- (a) The administration of the affairs of the Commission in the exercise of its functions;
- (b) Determination of the functions to be assigned to licensees and other persons involved in the purchase, distribution or supply of water, the manner in which such functions shall be discharged and the procedures to be adopted and enforced in regard to the operation and maintenance of water supply system;
- (c) The procedure and the conditions for the grant of licenses, the particulars and documents to be made available by the persons applying for licenses, the standards and general conditions subject to which the license shall be granted, the grant of exemptions from the requirement of a license, the revocation and amendment of licenses and the effect thereof and all matters related thereto;

- (d) The duties, powers, rights and obligations of licensees;
- (e) The particulars to be furnished, and the form and manner for furnishing information, particulars, documents, accounts and books by the persons involved in the water distribution and supply or use of water;
- (f) The terms and conditions and the procedure for determination of revenues and tariffs;
- (g) The determination of the standards of performance of the persons involved in the distribution or supply of water in the State;
- (h) The fees and charges payable by the licensee and the consumer of water;
- (i) The amount of fines and penalties to be imposed for violation of the provisions of this Act including the method and manner of imposition of fines and penalties and collection of the same;
- (j) Any other matter which is required to be, or may be, provided by regulations.

23. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act shall, during a period not exceeding twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient. Power to remove difficulties
- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Water scarcity and its deteriorating quality is becoming apparent in the moisture sufficient State of Uttar Pradesh which shall get more pronounced with increasing population. Water is a basic human need and one of the most crucial elements in development planning. The planning of this limited resource has to be guided by development perceptions of the State which would *inter-alia* account for geographical conditions, hydrological status (surface and under ground water), water allocation priorities and other specific needs.

It is incumbent on the State to put the limited and scarce water resources in most economical, efficient and sustainable use to promote its optimal use for drinking water, agro and non-agro industries, irrigation, hydro-power, ecology, navigation and other uses as per the priorities fixed in State Water Policy from time to time. It is the duty of the State Government to monitor that the under-ground aquifers are sustained and the river water is exploited keeping in the view the ecological balance of the river systems. It is also the responsibility of the State Government to maintain both quantity and quality of the water with suitable measures required to be taken with best of technology and management practices available in working out equitable and sustainable distribution of water. The State Government is also responsible to establish a water tariff system and fix criteria for water charges with a view to ensuring proper administration, operation and maintenance of water carrier systems for the use and consumption of water.

In order to ensure proper utilization of natural water resources of the State it has been decided to make a law to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission to regulate the water resources within the State. Facilitate and ensure judicious equitable and sustainable management, allocation and optimal utilization of water resources for environmentally;

economically sustainable development of the State, fix the rates for water use for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and cess on lands benefited by flood protection and drainage works from the owners of lands benefited through appropriate regulatory instruments according to State Water policy.

The Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Bill, 2014 is introduced accordingly.

By order,  
S. B. SINGH,  
*Pramukh Sachiv.*